न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 13/2026

दीपचन्द पुत्र श्री ग्यारसा जाति माली उम्र 56 साल, निवासी काटलीपुरा उप तहसील गुड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार गुड़ा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्ट

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार गुड़ा दिनांक 29.10.2025 बाबत नोटिस धारा 91 एल.आर. एक्ट प्रकरण संख्या 03/2025 उनवानी सरकार बनाम दीपचन्द

———

उपस्थित :—

1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

पटवारी हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी द्वारा गलत एवं अस्पष्ट रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 को अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम की पेश की कि अपीलान्ट ने राजस्व ग्राम काटलीपुरा की भूमि खसरा न. 331 रकबा 2.70 है0 में रकबा 100 वर्गमीटर पर दो दुकानें चलाकर अतिक्रमण कर रखा है। इस रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट नायब तहसीलदार गुड़ा ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 28.05.2025 की तारीख पेशी नियत की जिस पर अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया ततपश्चात् अपीलान्ट को आगामी तारीख नहीं दी गई और कहा कि तारीख पेशी बाद में मालूम कर लेना प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है जिससे आगामी तारीख पेशी जानकारी नहीं दी। अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए दिनांक 29.10.2025 को प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार का अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। पटवारी हल्का की कथित रिपोर्ट कतई अस्पष्ट है एवं माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने भूमि खसरा न. 331 की पुरानी सीट में दर्शित बिन्दुओं से पैमाईश किया जाने का कोई तथ्य रिपोर्ट पर नहीं होने के बावजूद अतिक्रमण का निर्धारण सही न होने के बावजूद अपीलान्ट के निर्माण को अतिक्रमण मानने में भारी भूल कानूनी भूल की है। अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में ही अपीलान्ट ने पूर्वजें के समय से दुकानों का निर्माण कर रखा है। एवं जिस पर भूमि पर दुकानों का निर्माण किया हुआ है वे अपीलान्ट की खातेदारी का भाग है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण सरकारी भूमि पर नहीं किया है। उक्त प्रकरण में योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सबूत पेश करने का कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिया एवं बाला बाला निर्णय पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मान्य एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट के अतिक्रमी होने का तथ्य ही पत्रावली पर प्रमाणित नहीं है। प्रकरण पूर्ण साक्ष्य एवं सुनवाई से ही निर्णीत होना था को नजर अंदाज करते हुए विवादित निर्णय पारित किया गया है जो किसी प्रकार स्थिर रहने योग्य नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित स्थल का मौका निरीक्षण नहीं किया ना ही किसी सक्षम अधिकारी से कराया। जबकि मौके पर उक्त दुकाने अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में बनी हुई है। पटवारी हल्का ने अपने कथित अस्पष्ट रिपोर्ट के साथ कोई मौका का नक्शा भी नहीं बनाया है। अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट के अधिकर एवं स्वामित्व की भूमि में दुकानों का निर्माण होने के आधार पर ही अपीलान्ट को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विद्युत सम्बन्ध जारी किया हुआ है। इस तथ्य को भी नजर अंदाज कर विवादित निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर नायब तहसीलदार गुड़ा निर्णय दिनांक 29.10.2025 बमुकदमा सरकार बनाम दीपचन्द अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट प्रकरण संख्या 03/2025 अपास्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि पटवारी हल्का की कथित रिपोर्ट कतई अस्पष्ट है एवं माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने भूमि खसरा न. 331 की पुरानी सीट में दर्शित बिन्दुओं से पैमाईश किया जाने का कोई तथ्य रिपोर्ट पर नहीं होने के बावजूद अतिक्रमण का निर्धारण सही न होने के बावजूद अपीलान्ट के निर्माण को अतिक्रमण मानने में भारी भूल कानूनी भूल की है। अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में ही अपीलान्ट ने पूर्वजें के समय से दुकानों का निर्माण कर रखा है। एवं जिस पर भूमि पर दुकानों का निर्माण किया हुआ है वे अपीलान्ट की खातेदारी का भाग है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण सरकारी भूमि पर नहीं किया है। उक्त प्रकरण में योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सबूत पेश करने का कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिया एवं बाला बाला निर्णय पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के मान्य एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट के अतिक्रमी होने का तथ्य ही पत्रावली पर प्रमाणित नहीं है। प्रकरण पूर्ण साक्ष्य एवं सुनवाई से ही निर्णीत होना था को नजर अंदाज करते हुए विवादित निर्णय पारित किया गया है जो किसी प्रकार स्थिर रहने योग्य नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित स्थल का मौका निरीक्षण नहीं किया ना ही किसी सक्षम अधिकारी से कराया। जबकि मौके पर उक्त दुकाने अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में बनी हुई है। पटवारी हल्का ने अपने कथित अस्पष्ट रिपोर्ट के साथ कोई मौका का नक्शा भी नहीं बनाया है। अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट के अधिकर एवं स्वामित्व की भूमि में दुकानों का निर्माण होने के आधार पर ही अपीलान्ट को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विद्युत सम्बन्ध जारी किया हुआ है। इस तथ्य को भी नजर अंदाज कर विवादित निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर नायब तहसीलदार गुड़ा निर्णय दिनांक 29.10.2025 बमुकदमा सरकार बनाम दीपचन्द अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट प्रकरण संख्या 03/2025 अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम काटलीपुरा स्थित आराजी खसरा नं0 331 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.0100 है0 जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। विवादित भूमि की किस्म चारागाह है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम काटलीपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 331 किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.0100 है0 जमीन पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने अदालत हाजा के समक्ष कथन किया है कि अपीलान्ट अपीन खातेदारी भूमि में अपने पूर्वजों के समय से दुकानों का निर्माण कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सबूत पेश करने का कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण उसके पक्षकारों को सूनवाई का समूचित अवसर देते हुये करना ही न्यायोचित होता है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 29.10.2025 निरस्त किया जाता है तथा अपील इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट की उपस्थिति में स्वयं पुनः मौका निरीक्षण कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं